

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 - 568/2022

अनवान : -

1. अजीतसिंह पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. उछव कंवर पत्नी श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कृष्णा कंवर पत्नी विजयसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. केशव प्रताप पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर।
4. जयसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. जगमोहनसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. उम्मेदसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. आरती पुत्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. पुनिशा पुत्री करणीसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :- 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
2. मनीराम सरावग अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 11/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 के खाता स0 253/223 के खसरा न0 80 का कुल क्षेत्रफल 4.1730 है0 भूमि में मृतक करणीसिंह, श्रवणसिंह, विजयसिंह पुत्रगण हजारीसिंह प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक राजासार तहसील नोहर के खाता स0 250/242 के खसरा न0 111 की 0.9360 है0 व 144 की 3.4270 कुल 4.3630 है0 भूमि में मृतक करणीसिंह का 1211/21815 हिस्सा व मृतक श्रवणसिंह, विजयसिंह पुत्रगण हजारीसिंह प्रत्येक के 2423/43630 हिस्सा व रोही मौजा 15 बाराबी तहसील नोहर के खाता स0 20/19 के प0 न0 319/445(31) के किला न0 5/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.2280 है0, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की 0.2530 है0, व प0 न0 319/446(44) के किला न0 4, 5 की 0.506 है0, प0 न0 320/445(30) किला न0 1/1 की 0.0250 है0, गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.2280 है0, 2/1 की 0.0250 है0, गै0 मु0 रास्ता, 2/2 की 0.2280 है0, 9 ता 12 व 19 ता 22 प्रत्येक की 0.2530 है0, प0 न0 320/446(45) के किला न0 1, 2 की 0.506 है0 कुल 4.8070 है0 भूमि में मृतक करणीसिंह, श्रवणसिंह, विजयसिंह पुत्रगण हजारीसिंह प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 253/223 का क्षेत्रफल 4.1730 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा व चक राजासार तहसील नोहर के खाता 250/242 का क्षेत्रफल 4.3630 है0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि में से 1211/12815 हिस्सा व 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 20/19 की कुल 4.8070 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स० 3 ब०हि०ब० काबिज है व रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स० 253/223 की 4.1730 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा व चक राजासर तहसील नोहर के खाता 250/242 की कुल 4.3630 है० भूमि में से 2423/43630 हिस्सा व 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 20/19 की कुल 4.8070 है० भूमि में से पर प्रतिवादीया स० 1 व प्रतिवादीया स० 2 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में करणीसिंह, श्रवणसिंह व विजयसिंह के नाम दर्ज है। करणीसिंह, श्रवणसिंह व विजयसिंह तीनों का देहान्त हो चुका है। जिनके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी गण 1 ता 8 है जो कि उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी स० 4 ता 5 जो कि प्रतिवादीया स० 1 के पुत्र है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता प्रतिवादीया स० 1 के पक्ष में त्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी स० 6 व 7 जो की प्रतिवादीया स० 2 के पुत्र व पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेकर अपनी माता प्रतिवादीया स० 2 के पक्ष में त्याग कर चुके है। प्रतिवादीया स० 8 जो की वादी एवं प्रतिवादी स० 3 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर चुकी है। इस प्रकार प्रतिवादी स० 4 ता 8 का उक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बचा है जिसे अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी गण को काफी मर्तबा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर सम्वत् 2072-2075 खाता संख्या 253/253 जमाबंदी ईएक्सपी-1, रोही मौजा 15 बारानी तहसील नोहर सम्वत् 2075-2078 खाता स० 20/19 जमाबंदी ईएक्सपी-2, रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर खाता स० 250/242 सम्वत् 2072-2075 जमाबंदी ईएक्सपी-3, मृत्यु प्रमाण पत्र करणीसिंह ईएक्सपी-4, मृत्युप्रमाण पत्र श्रवणसिंह ईएक्सपी-5, मृत्यु प्रमाण पत्र विजय सिंह ईएक्सपी-6 व शपथ पत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र लखन सिंह की चत्रप्रति आदि पेश किये। प्रतिवादी सं० 9 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स० 4 ता 5

जो कि प्रतिवादीया स० १ के पुत्र है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता प्रतिवादीया स० १ के पक्ष में त्याग कर चुके हैं तथा प्रतिवादी स० ६ व ७ जो की प्रतिवादीया स० २ के पुत्र व पुत्री हैं उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेकर अपनी माता प्रतिवादीया स० २ के पक्ष में त्याग कर चुके हैं। प्रतिवादीया स० ८ जो की वादी एवं प्रतिवादी स० ३ की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चहातती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर चुकी है। इस प्रकार प्रतिवादी स० ४ ता ८ का उक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बचा है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स० १ ता ८ द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् २०७२-२०७५ के खाता स० २५३/२२३ के खसरा न० ८० का कुल क्षेत्रफल ४.१७३० है० भूमि में मृतक करणीसिंह, श्रवणसिंह, विजयसिंह पुत्रगण हजारीसिंह प्रत्येक के १/६ हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स० २५०/२४२ के खसरा न० १११ की ०.९३६० है० व १४४ की ३.४२७० कुल ४.३६३० है० भूमि में मृतक करणीसिंह का १२११/२१८१५ हिस्सा व मृतक श्रवणसिंह, विजयसिंह पुत्रगण ईन्द्रसिंह प्रत्येक के २४२३/४३६३० हिस्सा व रोही मौजा १५ बरानी तहसील नोहर के खाता स० २०/१९ की कुल ४.८०७० है० भूमि में मृतक करणीसिंह, श्रवणसिंह, विजयसिंह पुत्रगण हजारीसिंह प्रत्येक के नाम १/६ हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर व पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक करणीसिंह, श्रवणसिंह, व विजयसिंह के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स० ४ ता ५ जो कि प्रतिवादीया स० १ के पुत्र है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता प्रतिवादीया स० १ के पक्ष में त्याग कर चुके हैं तथा प्रतिवादी स० ६ व ७ जो की प्रतिवादीया स० २ के पुत्र व पुत्री हैं उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेकर अपनी माता प्रतिवादीया स० २ के पक्ष में त्याग कर चुके हैं। प्रतिवादीया स० ८ जो की वादी एवं प्रतिवादी स० ३ की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चहातती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर चुकी है तथा वादी के वाद को प्रतिवादीगण स० १ ता ८ ने स्वीकार कर मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स० १ ता ८ के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का एतराज नहीं होने व वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।


क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् २०७२-२०७५ के खाता स० २५३/२२३ के खसरा न० ८० का कुल क्षेत्रफल ४.१७३० है० भूमि में मृतक करणीसिंह, श्रवणसिंह, विजयसिंह पुत्रगण हजारीसिंह प्रत्येक के १/६ हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स० २५०/२४२ के खसरा न० १११ की ०.९३६० है० व

उपस्यण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

144 की 3.4270 कुल 4.3630 है 0 भूमि में मृतक करणीसिंह का 1211/21815 हिस्सा व मृतक श्रवणसिंह, विजयसिंह पुत्रगण ईन्द्रसिंह प्रत्येक के 2423/43630 हिस्सा व रोही मौजा 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 20/19 के प० न० 319/445(31) के किला न० 5/1 की 0.0250 है 0 गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.2280 है 0, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की 0.2530 है 0, व प० न० 319/446(44) के किला न० 4, 5 की 0.506 है 0, प० न० 320/445(30) किला न० 1/1 की 0.0250 है 0 गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.2280 है 0, 2/1 की 0.0250 है 0, गै० मु० रास्ता, 2/2 की 0.2280 है 0, 9 ता 12 व 19 ता 22 प्रत्येक की 0.2530 है 0, प० न० 320/446(45) के किला न० 1, 2 की 0.506 है 0 कुल 4.8070 है 0 भूमि में मृतक करणसिंह, श्रवणसिंह, विजयसिंह पुत्रगण हजारीसिंह प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में मृतक करणीसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी अजीतसिंह व प्रतिवादी स० 3 केशवप्रताप को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार तथा मृतक विजयसिंह का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया स० 2 कृष्णा कंवर को खातेदार काश्तकार तथा मृतक श्रवणसिंह का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया स० 1 उछव कंवर को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/2/28 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 - 568 / 2022

अनवान : -

1. अजीतसिंह पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. उछव कंवर पत्नी श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कृष्णा कंवर पत्नी विजयसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. केशव प्रताप पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर।
4. जयसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. जगमोहनसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. उम्मेदसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. आरती पुत्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. पुनिशा पुत्री करणीसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।


- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा व मनीराम सरावग की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 के खाता स0 253/223 के खसरा न0 80 का कुल क्षेत्रफल 4.1730 है0 भूमि में मृतक करणीसिंह, श्रवणसिंह, विजयसिंह पुत्रगण हजारीसिंह प्रत्येक के 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 250/242 के खसरा न0 111 की 0.9360 है0 व 144 की 3.4270 कुल 4.3630 है0 भूमि में मृतक करणीसिंह का 1211/21815 हिस्सा व मृतक श्रवणसिंह, विजयसिंह पुत्रगण ईन्द्रसिंह प्रत्येक के 2423/43630 हिस्सा व रोही मौजा 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 20/19 के प0न0 319/445(31) के किला न0 5/1 की 0.0250 है0 गै0मु0 रास्ता, 5/2 की 0.2280 है0, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की 0.2530 है0, व प0न0 319/446(44) के किला न0 4, 5 की 0.506 है0, प0न0 320/445(30) किला न0 1/1 की 0.0250 है0 गै0मु0 रास्ता, 1/2 की 0.2280 है0, 2/1 की 0.0250 है0, गै0मु0 रास्ता, 2/2 की 0.2280 है0, 9 ता 12 व 19 ता 22 प्रत्येक की 0.2530 है0, प0न0 320/446(45) के किला न0 1, 2 की 0.506 है0 कुल 4.8070 है0 भूमि में मृतक करणीसिंह, श्रवणसिंह, विजयसिंह पुत्रगण हजारीसिंह प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में मृतक करणीसिंह का नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

कलमजन किया जाकर वादी अजीतसिंह व प्रतिवादी स0 3 केशवप्रताप को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार तथा मृतक विजयसिंह का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया स0 2 कृष्णा कंवर को खातेदार काश्तकार तथा मृतक श्रवणसिंह का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया स0 1 उछव कंवर को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर